द्वारा ई-मेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर–1, चतुर्थ तल, अनु0–18, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002

पत्र संख्याः अठ्ठारह–सीधी भर्ती(गोपनीय)–2020 दिनांकः लखनऊः अप्रैल 19 2023

सेवा में,

1–पुलिस आयुक्त,
आगरा/कानपुर/लखनऊ/प्रयागराज/वाराणसी।
2–परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा/ अलीगढ /अयोध्या /आजमगढ/बरेली/बस्ती/चित्रकूटधाम/देवीपाटन/गोरखपुर/झॉसी/कानपुर/लखनऊ /मेरठ /मुरादाबाद/प्रयागराज/वाराणसी एवं सहारनपुर।

विषयः पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) सीधी भर्ती–2020 में सफल अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण और चरित्र सत्यापन की कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

कृपया उपर्युक्त विषयक इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांकः08.02.2023 एवं 14.02.2023 व 15.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 पुलिस लिपिक/लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती–2020 हेतु पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण और चरित्र सत्यापन कराये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत करते हुये परिक्षेत्र स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुये चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सीय परीक्षण हेतु परिक्षेत्र/पुलिस कमिश्नरेट स्तर पर जनपदीय चिकित्सा परिषद एवं मण्डलीय चिकित्सा परीषद का गठन कराते हुए (जिसमें एक महिला चिकित्सक अवश्य हो) इस मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. प्रकरण में अवगत कराना है कि मुख्यायल स्तर से निर्गत उक्त निर्देश के कम में सभी संबंधित परिक्षेत्रों/पुलिस कमिश्नरेट स्र पर नोडल अधिकारी के नामांकन एवं जनपदीय/मण्डलीय चिकित्सा परिषद के गठन की सूचना इस मुख्यालय को प्राप्त होने के उपरान्त अध्यक्ष/पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक पीआरपीबी–एक–1 (लॉजिक च0पं0) 2020–21 दिनांक 30.01.2023 द्वारा पुरूषो एवं महिलाओं के लिये उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती–2020 हेतु **पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय)** पुरूष/महिला के पदों पर चयनित 201 अभ्यर्थियों एवं उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ द्वारा **उपनिरीक्षक(गोपनीय सतर्कता)** के 22 अभ्यर्थियों की सूची एवं चयन परिणाम तथा DV/PST पत्रावलियॉ इस मुख्यालय को प्रेषित की गयी हैं, जिन्हें इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनॉक 07.04.2023 द्वारा संबंधित परिक्षेत्रीय प्रभारियों/पुलिस कमिश्नरेट को प्रेषित की गयी हैं।

3. प्रकरण में अवगत कराना है कि उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा अपने पत्र दिनांकित 30.01.2023 द्वारा **पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय)** पुरूष/महिला एवं उपनिरीक्षक(गोपनीय सतर्कता) के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं चयन परिणाम उपलब्ध कराते हुए यह अंकित किया गया है कि उक्त चयन परिणाम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कराये जाने वाले अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण और उसके शैक्षिक योग्यता, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के अधीन होगा। उक्त चयन परिणाम भर्ती बोर्ड द्वारा अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा की कार्यवाही पूर्ण करते हुए जारी किया गया है। यह चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या–11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांकः 16.01.2019 को पारित निर्णय के कम में शासनादेश संख्याः 39–रिट/का–2/2019, दिनांकः 26.06.2019 द्वारा इस प्रकरण में योजित स्पेशल अपील (डी) संख्या–475/2019 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अग्रिम निर्णय एवं अन्य रिटों में पारित निर्णयों के अधीन होगा।

4. **''उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 एवं (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली–2016''** में निहित प्रावधान के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य **पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय)** के पद के लिए **''पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारी''** से है। चिकित्सा परीक्षण और चरित्र सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से सम्पन्न करायी जानी है।

Scanned with OKEN Scanner

5. ''उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 दिनांक 23.07.2015 एवं दिनांक 19.10.2016 को (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली–2016'' में निहित व्यवस्था निम्नवत् है :–

नियम–17(च)– <u>चिकित्सा परीक्षण</u>

''ऐसे अभ्यर्थियों जिनके नाम खण्ड (ड.) के अनुसार चयन सूची में हों नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा हेतु सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। चिकित्सा परीक्षा के संचालन हेतु सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परिषद का गठन किया जायेगा, जिसमें 03 चिकित्सक रखे जायेगें जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड किये गये पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षा करेगा। कोई अभ्यर्थी अपनी चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट हो, वह स्वयं परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी स्वंय अपने चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिनांक पर अपील करने में असफल रहता है तो चिकित्सा परीक्षा से सम्बन्धित किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा। अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में सम्बन्धित आदेवक के चिकित्सा दोष का विशेषज्ञ होगा। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसे रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिये आगे ले जाया जायेगा।''

6. उपरोक्तानुसार पुलिस उपनिरीक्षक(गोपनीय) एवं उपनिरीक्षक(गोपनीय सतर्कता) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण सेवा नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पूर्ण कराया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों के चयन परिणाम एवं भर्ती बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों/अभिलेखों का भली भॉति मिलान कराकर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण एवं तत्संबंधी अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी, जिनका नाम चयन परिणाम(हार्ड कापी) में अंकित है। यदि किसी अभ्यर्थी का नाम चयन परिणाम में अंकित नहीं है एवं उसकी पत्रावली भूलवश भर्ती बोर्ड द्वारा प्रेषित कर दी गयी है, तो उस अभ्यर्थी का चिकित्सीय परीक्षण न कराकर समग्र तथ्यों से इस मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा।

7. पुलिस उपनिरीक्षक(गोपनीय) एवं उपनिरीक्षक (गोपनीय सतर्कता) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण की कार्यवाही परिक्षेत्रीय मुख्यालय/कमिश्नरेट स्तर पर ***<u>दिनॉक 26.04.2023 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।</u>*** चिकित्सा परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन हेतु इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनॉकः 08.02.2023 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

8. परिक्षेत्र/पुलिस कमिश्नरेट स्तर पर नामित नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह पर्यवेक्षक अधिकारी के निर्देशन में उपरोक्त समस्त कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जनपदीय चिकित्सा परिषद एवं मण्डलीय चिकित्सा परिषद से समन्वय बनाये रखते हुये सम्पूर्ण प्रक्रिया को निर्धारित तरीके से निर्वाध सम्पन्न कराया जाना भी उनका दायित्व होगा। अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा एवं चरित्र सत्यापन से संबंधित समस्त अभिलेख/रजिस्टर इत्यादि मूलरूप में जनपद/कमिश्नरेट स्तर पर नामित नोडल अधिकारी द्वारा शील्डकवर बक्से में सुरक्षित रखा जायेगा एवं स्वास्थ्य परीक्षण अभिलेखों की संवीक्षा एवं चरित्र सत्यापन में उपयुक्त अभ्यर्थियों की नामवार सूची, जिसमें अभ्यर्थी के अनुक्रमांक, पंजीकरण संख्या सहित पिता का नाम व उसके निवास का पता/जनपद/प्रदेश अंकित करते हुये मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण आंवटन की कार्यवाही प्रशिक्षण निदेशालय स्तर से करायी जा सके। **<u>जिन परिक्षेत्रों/कमिश्नरेट में उपनिरीक्षक(गोपनीय सतर्कता) पद पर चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन की कार्यवाही की जानी है, वे परिक्षेत्र/कमिश्नरेट उक्त कार्यवाही पूर्ण कराकर सम्पूर्ण पत्रावली सयुंक्त निदेशक उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ को उनके पत्र संख्या–स0अ0 /अनु–4– ए–27 /2023 दिनॉक 21.02.2023 के अनुक्रम में उन्हें सीधे उपलब्ध कराते हुये इस मुख्यालय को भी अवगत करायेंगे।</u>**

9. यदि किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/अभिलेखों के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्त प्राधिकारी(पुलिस उपमहानिरीक्षक) द्वारा सेवा नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी को अनुपयुक्त घोषित करते हुये अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही नियमानुसार अमल में लायी जायेगी तथा कृत कार्यवाही से

Scanned with OKEN Scanner

इस मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा, ताकि ऐसी रिक्तियों को अगले चयन के लिए अग्रेनीत करने की कार्यवाही की जा सके।

10. अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया **पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय)** के पद पर सीधी भर्ती—2020 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन के संबंध में पूर्व में निर्गत निर्देशों एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों/परिस्थितियों के दृष्टिगत **पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) पुरूष/महिला एवं उपनिरीक्षक (गोपनीय सतर्कता) पुरूष /महिला** के पद पर चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य/चिकित्सा परीक्षण जनपदीय चिकित्सा परिषद/मण्डलीय चिकित्सा परिषद के स्तर से पूर्ण कराये जाने हेतु दिये गये निर्देशों का भलीभॉति अध्ययन/परिशीलन कर कार्यवाही सुनिश्चित करायें तथा दिन—प्रतिदिन की प्रगति से इस मुख्यालय को भी अवगत करायें।

(सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज)
पुलिस अधीक्षक, स्थापना
नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपि</u>ः निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ जनपदों को निर्देशित करने की कृपा करें:—

1—समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

2—समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश,।

<u>संख्या तथा दिनांक वही।</u>

<u>प्रतिलिपि</u>ः अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनॉकित 30.01.2023 के सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

<u>प्रतिलिपि</u>ः अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त निर्देश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की **बेवसाइट uppolice.up.nic.in पर अपलोड कराने** का कष्ट करें।

Scanned with OKEN Scanner